उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-50/2016/2169/92-1-2016-78(अधि0)/2016
लखनऊ: दिनांक: 20 जुलाई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निम्नलिखित अधिशासी अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख अधोतालिका के स्तम्भ सं0-3 में उल्लिखित उनकी वर्तमान तैनाती के पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों के साथ-साथ शासकीय कार्यहित/जनहित में एतद्द्वारा उन्हें अधोतालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित प्रखण्ड/पी0आई0यू0 के कर्तव्यों एवं दायित्वों का अतिरिक्त कार्यभार प्रदत्त किया जाता है :-

क्र0सं0	नाम	वर्तमान तैनाती	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1-	श्री नूर आलम	प्रखण्ड-फर्रूखाबाद	पी0आई0यू0-फर्रूखाबाद
2-	श्री सुरेश चन्द्र	प्रखण्ड-चन्दौली	प्रखण्ड एवं पी0आई0यू0-सोनभद्र
3-	श्री एन0के0 त्रिपाठी	प्रभारी अधीक्षण अभियंता, परि0- विन्ध्याचल एवं अधि0अभि0, पी0आई0यू0-मिर्जापुर व प्रखण्ड/पी0आई0यू0-भदोही का अतिरिक्त प्रभार	प्रखण्ड-मिर्जापुर
4-	श्री अनिल कुमार शर्मा	पी0आई0यू0- मुरादाबाद	प्रखण्ड-मुरादाबाद
5-	श्री अब्दुल वाहिद	प्रखण्ड-रामपुर	पी0आई0यू0-रामपुर
6-	श्री सुशील कुमार यादव	प्रभारी अधीक्षण अभियंता, परि0-मेरठ एवं अधि0अभि0, पी0आई0यू0-मेरठ	प्रखण्ड-मेरठ
7-	श्री राजेश गोयल	प्रखण्ड-हापुड़	प्रखण्ड-गाजियाबाद
8-	श्री मनोज कुमार गर्ग	प्रखण्ड-बांदा	पी0आई0यू0-बांदा एवं प्रखण्ड-चित्रकूट

2- उपरोक्त अधिशासी अभियंताओं को उक्त अतिरिक्त कार्यभार के सम्पादन हेतु उन्हें किसी प्रकार के अतिरिक्त वेतन, भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे तथा अतिरिक्त कार्यों एवं दायित्वों के सम्पादन हेतु उक्त नितान्त काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्ध व्यवस्था शासन द्वारा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-50/2016/2169(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।

6- संबंधित अधिशासी अभियंतागण द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।